उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या-4/2017/448/सात-न्याय-2-2017-176जी/2010

लखनऊ- दिनांक 21 जून, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी ।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

नियम 3 का संशोधन

2.उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 3 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्वामान उप-नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप--नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम |
|---|---|
| (3) इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से पदों की विद्यमान श्रेणियां अनुसूची ^ख^ के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पदों की श्रेणियों के रूप में पदाभिहित हो जाएंगी । | (3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से पदों की विद्यमान श्रेणियाँ अनुसूची ^ख^ के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पदों की श्रेणियों के रूप में पदाभिहित हो जायेंगी । |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**नियम 4 का प्रतिस्थापन**

3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| | स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप-नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित<br>उप-नियम |
|---|---|---|
| भर्ती की रीति], अर्हता आदि | 4. अनुसूची 'ख' के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के पदों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भर्ती की प्रक्रिया और न्यूनतम अर्हता उसके स्तम्भ (3) और (4) तत्सदृश प्रविष्टियों में तथा विनिर्दिष्ट रूप से होगी । | भर्ती की रीति, अर्हता आदि;<br>4. अनुसूची 'ख' के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के पदों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भर्ती की रीति और न्यूनतम अर्हता उसके स्तम्भ (3) और (4) में तत्सदृश प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट रूप से होगी । |

**नियम 5 का संशोधन**

4. उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| | स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप-नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित<br>उप-नियम |
|---|---|---|
| नियुक्ति की प्रक्रिया | 5(1) सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में, संबंधित जिले में व्यापक परिचालन वाले राज्य स्तरीय कम से कम दो समाचार पत्रों एक हिन्दी और एक अंग्रेजी में व्यापक रूप से परिचारित करने के पश्चातृ । | नियुक्ति की प्रक्रिया 5 (1) सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में, उस जिले में व्यापक प्रसार वाले राज्य स्तरीय कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| | | एक हिन्दी में और एक अंग्रेजी में व्यापक रूप से प्रचारित करने के पश्चात् तथा रोजगार समाचार पत्रों और ऐसे अन्य प्रकाशन में भी विज्ञापन द्वारा और उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी इसके अतिरिक्त नाम स्थानीय रोजगार कार्यालय से अधियाचित किये जा सकते हैं । अन्य आवश्यक विवरणों के अतिरिक्त विज्ञापन में स्पष्ट निबंधनों में चयन और भर्ती हेतु उपलब्ध पदों की संख्या ऐसे पदों हेतु अर्हताएं और अन्य पात्रता के मानदण्ड तथा नियमावली, जिसके अधीन चयन और भर्ती की जानी हो, भी विनिर्दिष्ट करना ेहोगा। |

नियम 6 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नियम 6 में, नीचे स्तम्भ 1 स्तम्भ में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

| | स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप-नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम |
|---|---|---|
| नियुक्ति के लिये अनर्हता | 6.(2) कोई भी पुरूष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉं हो और कोई | नियुक्ति के लिये अनर्हता 6 (2) कोई भी |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| | महिला जिसनें ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से अन्य पत्नी हों, नियुक्ति के लिए पात्र न होगा । | पुरूष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉं हों और कोई भी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से अन्य पत्नी हो, नियुक्ति के लिये पात्र न होगा । |

| | |
|---|---|
| नियम 7 का संशोधन | 6. उक्त नियमावली में, नियम 7 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उप-नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:- |

| | | स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप-नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम |
|---|---|---|---|
| नियुक्ति के लिये आयु सीमा | | 7(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पार न किया हो ।<br><br>(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये लागू अधिकतम आयु सीमा, इस निमित्त् जारी किये गये और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये शासनादेशों के अनुरूप होगी । | नियुक्ति के लिये आयु सीमा 7ृ (1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अद्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष की आयु को पार न किया हो ।<br>(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये लागू अधिकतम आयु सीमा, इस निमित्त् जारी किये गये और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये शासनादेशों के अनुरूप होगी । |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम 8 का संशोधन

7. उक्त नियमावली में, नियम 8 में, उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (2) बढा दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियुक्ति के आरक्षण के लिये उपबन्ध 8. (2) आरखण नियमावली की प्रयोज्यता हेतु प्रत्येक न्यायाधीश पद को एक इकाई के रूप में माना जायेगा ।

नियम 12 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में, नियम 12 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| | स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप-नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम |
|---|---|---|
| चयनित अभ्यर्थियों की सूची | 12.(1) चयन प्राधिकारी, नियम 10 के अधीन यथा अवधारित लिखित परीक्षा में पाप्त कुल अंकों और नियम 11 के अधीन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के कुल योग के आधार पर और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य के लिये पदों पर आरक्षण के संबंध में प्रवृत्त आदेशों को ध्यान में रखते हुये पद की श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची श्रेष्ठता के आधार पर तैयार करेगा और यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा नियम 10 के अधीन यथा अवधारित लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और नियम 11 के अधीन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का कुल योग बराबर हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में श्रेष्ठता का क्रम उनकी आयु के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, आयु में ज्येष्ठतर व्यक्ति | चयनित अभ्यर्थियों की सूची 12.(1) चयन प्राधिकारी, नियम 10 के अधीन यथा अवधारित लिखित परीक्षा में पाप्त कुल अंकों और नियम 11 के अधीन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के कुल योग के आधार पर और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, और अन्य के लिये पदों पर आरक्षण के संबंध में प्रवृत्त आदेशों को ध्यान में रखते हुये पद की श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | या व्यक्तियों को ज्येष्ठता क्रम में ऊपर रखा जायेगा । ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों की संख्या भर्ती के लिये अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी । | श्रेष्ठता के आधार पर तैयार करेगा और यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा नियम 10 के अधीन यथा अवधारित लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और नियम 11 के अधीन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का कुल योग बराबर हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में श्रेष्ठता का क्रम उनकी आयु के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, आयु में ज्येष्ठतर व्यक्ति या व्यक्तियों को ज्येष्ठता क्रम में ऊपर रखा जाएगा । ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों की संख्या भर्ती के लिये अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी । |

नियम 18 का संशोधन

9. उक्त नियमावली में, नियम 18 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| | स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप-नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम |
|---|---|---|
| नियुक्ति के लिये योग्यता का समय | 18.(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पद का प्रभार नियुक्ति के आदेश के दिनांक के | नियुक्ति के लिये योगदान का समय 18.(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| | पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ग्रहण करेगा परन्तु उस दिनांक के 30 दिन बाद नहीं । | कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पद का प्रभार, नियुक्ति के आदेश के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ग्रहण करेगा परन्तु उस दिनांक से तीस दिनों के बाद नहीं । |

नियम 22 का संशोधन

10. उक्त नियमावली में, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम (4) के विद्यमान अंश के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम का अंश रख दिया जायेगा, अर्थात्::

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप--नियम | स्तम्भ-2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम |
|---|---|
| 22. (4) ज्येष्ठता, जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा की जाए-<br><br>(एक) जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा की जाए, वहाँ नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित उप-नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उनकी मूल नियुक्तियों के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति एक साथ की जाए, तो उस क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम नियुक्ति आदेश में क्रमबद्ध किये गये हैं: परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश ऐसे विशिष्ट पिछले दिनांक को विनिर्दिष्ट करे जब से कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया गया हो को उस दिनांक को मूल नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जाएगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश के जारी होने के दिनांक से होगा: | ज्येष्ठता 22.<br>(4) ज्येष्ठता, जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा की जांय-<br>(एक) जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा की जाएँ, वहाँ नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उपनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये उनकी मूल नियुक्तियों के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति एक साथ की जाए, तो उस क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम नियुक्ति आदेश में क्रमबद्ध किए गए हैं:<br><br>परन्तु यह कि यदि नियक्ति आदेश ऐसे विशिष्ट पिछले दिनांक को विनिर्दिष्ट करे जब से कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया गया हो तो उस दिनांक को मूल नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जाएगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश के जारी होने के दिनांक से होगा; |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| परन्तु यह और कि सीधी भर्ती वाला अभ्यर्थी अपनी पारम्परिक ज्येष्ठता खो सकता है यदि वह रिक्त पद दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव किये जाने पर बिना वैद्य कारण के पद ग्रहण करने में विफल रहता है और कारण की वैद्यता के सम्बंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा । | परन्तु यह और कि सीधी भर्ती वाला अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि वह रिक्त पद दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव किये जाने पर बिना वैद्य कारण के पद ग्रहण करने में विफल रहता है और कारण की वैद्यता के सम्बंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा । |
| (दो) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता:- | (दो) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता:- |
| (क) सीधी भर्ती के माध्यम से, वही होगी जो ज्येष्ठता योग्यता सूची में दर्शायी गयी है या | (क) सीधी भर्ती के माध्यम से, वही होगी जो ज्येष्ठता योग्यता सूची में दर्शायी गयी है या |
| (ख) का अवधरण पदोन्नति द्वारा यथास्थिति, नियम 22 (2) या नियम 22 (3) में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार नियुक्तियां किसी एकल पोषक संवर्ग या विभिन्न पोषक संवर्ग से की जानी है । | (ख) का अवधारण पदोन्नति द्वारा यथास्थिति, नियम 22 (2) या नियम 22 (3) में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार नियुक्तियां किसी एकल पोषक संवर्ग या विभिन्न् पोषक संवर्ग से की जानी है । |
| (तीन) जहां किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जायं, वहां पदोन्न्ति किये जाने वाले व्यक्तियों बनाम सीधी भर्ती के व्यक्तियों की ज्येष्ठता का अवधारण, यथाशक्य, चक्रानुक्रम में (पहले पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्ति को पदोन्नत करते हुए) दोनों स्रातो से विहित कोटा के अनुसार किया जाएगा । | (तीन) जहां किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जायं, वहाँ पदोन्न्ति किये जाने वाले व्यक्तियों बनाम सीधी भर्ती के व्यक्तियों की ज्येष्ठत का अवधारण, यथाशक्य, चक्रानुक्रम में (पहले पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्ति को पदोन्नत करते हुए) दोनों स्रोतों से विहित कोटा के अनुसार किया जाएगा । |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| दृष्टांत: जहाँ पदोन्नत किये जाने व्यक्तियों और सीधी भर्ती व्यक्तियों के कोटे का अनुपात 1:4 हो, वहाँ ज्येष्ठता का क्रम निम्नवत् होगा:- प्रथम----------------------------- पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्ति प्रथम से पाँचवें----------------------------------सीधी भर्ती के व्यक्ति और इसी तरह से अन्य: परन्तु यह कि – (क) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जानी हों, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे पश्चातवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हैं, ज्येष्ठता के लिए नीचे कर दिया जायेगा । | दृष्टांत: जहाँ पदोन्नत किये जाने व्यक्तियों और सीधी भर्ती के व्यक्तियों के कोटे का अनुपात 1:4 हो, वहाँ ज्येष्ठता का क्रम निम्नवत् होगा:- प्रथम----------------------------- पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्ति दूसरे से पाँचवें----------------------------------सीधी भर्ती के व्यक्ति और इसी तरह से अन्य: परन्तु यह कि – (क) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जानी हों, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे पश्चातवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हैं, ज्येष्ठता के लिए नीचे कर दिया जायेगा । |

नियम 23 का संशोधन

11. उक्त नियमावली में, नियम 23 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियमों (2) , (5) और (9) और उप-नियम (8) के विद्यमान अंशों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उप-नियम के अंश रख दिये जायेगें, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
|---|---|
| उप नियम (2), (5) और (9) और उप-नियम (8) के विद्यमान अंश<br>23. (2) निलम्बन:-<br>(दो) किसी कर्मचारी को, जिसके सम्बन्ध में या जिसके विरूद्व किसी आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई जाँच या वाद लम्बित है, जो कि न्यायालय, के कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति से सम्बन्धित है या जिससे कि उसके कर्तव्यों के निर्वहन में लज्जाजनक स्थिति सम्भावित हो या जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकारी या | उप नियम (2), (5) और (9) और उप-नियम (8) के एतदद्वारा प्रतिस्थापित अंश<br>23. (2) निलम्बन:-<br>(दो) किसी कर्मचारी को, जिसके सम्बन्ध में या जिसके विरूद्व किसी आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई जाँच या वाद लम्ब्ति है, जो कि न्यायालय के कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति से सम्बन्धित है या जिससे कि उसके कर्तव्यों के निर्वहन में लज्जाजनक स्थिति सम्भावित हो या जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकाकरी या ऐसे प्राधिकारी, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बन की शक्ति |

| | |
|---|---|
| ऐसे प्राधिकारी, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है, के विवेकानुसार उस आरोप से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों के समापन तक निलम्बन पर रखा जा सकता है । | प्रत्यायोजित की गयी है, के विवेकानुसार उस आरोप से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों के समापन तक निलम्बन पर रखा जा सकता है । |
| (तीन)-(क) किसी कर्मचारी को उसके निरूद्ध किये जाने के दिनांक से निलम्बन हेतु सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा यथास्थिति, निलम्बन पर रखा गया या निलम्बन पर जारी रखा माना जाएगा यदि उसे अडतालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है, चाहे ऐसा प्रतिधारण आपराधिक आरोप या अन्यथा पर हो।<br>(चार) ऐसा कर्मचारी, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने पर अडतालीस घंटे से अधिक के लिये कारावास से दण्डित किया जाता है और उसे ऐसे दोषसिद्ध के परिणामत: तत्काल बर्खास्त, पदच्युत या हटाया नहीं जाता है तो, इस नियमावली के अधीन निलंबित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के एक आदेश द्वारा वह अपनी दोषसिद्धि के दिनांक से यथास्थिति निलंबित रखा गया या निलंबन जारी रखा गया समझा जाएगा ।<br>(5) व़हद शास्तियाँ आरोपित करने की प्रक्रिया:<br>(दो) अनाचार के कारण भूत तथ्यों को, जिस पर कार्यवाही प्रस्तावित हो,निश्चित आरोप या आरोप पत्र के नाम से आरोपों के रूप में लघुकृत कर दिया जाएगा । आरोप पत्र को अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । | (तीन)-(क) किसी कर्मचारी को उसके निरूद्ध किये जाने के दिनांक से निलम्बन हेतु सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा यथास्थिति, निलम्बन पर रखा गया या निलम्बन पर जारी रखा गया माना जाएगा यदि उसे अडतालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है, चाहे ऐसा प्रतिधारण मूल आरोप या अन्यथा पर हो।<br>(चार) ऐसा कर्मचारी, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने की स्थिति में अडतालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिये कारावास से दण्डित किया जाता है और उसे ऐसी शर्त के परिणास्वरूप तत्काल पदच्युत या हटाया नहीं जाता है तो, इस नियमावली के अधीन निलंबित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा अपनी दोषसिद्धि के दिनांक से यथास्थिति निलंबित रखा गया या निलंबन जारी रखा गया समझा जाएगा ।<br>(5) व़हद शास्तियाँ आरोपित करने की प्रक्रिया:<br>(दो) अनाचार के कारण उक्त तथ्य, जिसके आधार पर, कार्यवाही प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में लघुकृत कर दिया जाएगा, जिसे आरोप पत्र कहा जाएगा ।<br>आरोप पत्रको अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा । |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| (4) आरोपित कर्मचारी से विनिर्दिष्ट दिनांक को, जो आरोप-पत्र जारी करने के दिनांक से, पन्द्रह दिनों से कम न होगा, अपने बचाव में लिखित बयान देने की अपेक्षा की जाएगी और यह बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या वह आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी गवाह की प्रति-परीक्षा करने की इच्छा रखता है और क्या वह अपने बचाव में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है । उसे यह भी सूचित किया जाएगा कि यदि वह विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित नहीं होता है या लिखित बयान नहीं दाखिल करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसे कुछ नहीं प्रस्तुत करना है और जांच अधिकारी एक पक्षीय रूप से जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा । | (4) आरोपित कर्मचारी से विनिर्दिष्ट दिनांक को, जो आरोप-पत्र जारी करने के दिनांक से, पन्द्रह दिनों से कम न होगा, अपने बचाव में लिखित बयान देने की अपेक्षा की जाएगी और यह बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या वह आरोप पत्र में उल्लिखित किसी गवाह की प्रति-परीक्षा करने की इच्छा रखता है और क्या वह अपने बचाव में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है । उसे यह भी सूचित किया जाएगा कि यदि वह विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित नहीं होता है या लिखित बयान नहीं दाखिल करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसे कुछ नहीं प्रस्तुत करना है और जांच अधिकारी एक पक्षीय रूप से जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा । | |
| (सात) जहां आरोपित कर्मचारी आरोपों से इंकार करता है वहां जांच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित गवाहों को बुलायेगा और उनके मौखिक साक्ष्यों को आरोपित कर्मचारी की उपस्थिति में अभिलखित करेगा और उसे भी ऐसे गवाहों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा । उपर्युक्त साक्ष्यों को उल्लिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को बुलाकर उसका मौखिक साक्ष्य अभिलखित किया जाएगा जिसे वह अपने बचाव में लिखित बयान के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है : | (सात) जहां आरोपित कर्मचारी आरोपो से इंकार करता है वहाँ जाँच अधिकार आरोप पत्र में प्रस्तावित गवाहों को बुलायेगा और उनके मौखिक साक्ष्यों को आरोपित कर्मचारी की उपस्थिति में अभिलखित करेगा और उसे भी ऐसे गवाहों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा । उपर्युक्त साक्ष्यों को उल्लिखित करने के पश्चात् जॉच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को बुलाकर उसका मौखिक साक्ष्य अभिलखित किया जाएगा जिसे वह अपने बचाव में लिखित बयान के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है : | |
| परन्तु यह कि जांच अधिकारी लिखित में कारणों को बताते हुए किसी गवाह को बुलाने से इन्कार कर सकता है । | परन्तु यह कि जॉच अधिकारी लिखित में कारणों को बताते हुए किसी गवाह को बुलाने से इन्कार कर सकता है । | |
| (आठ) जॉच अधिकारी, उत्तर प्रदेश डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरिज (इन्फोर्समेन्ट | (आठ) जॉच अधिकारी, उत्तर प्रदेश डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरिज ( इन्फोर्समेन्ट | |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | |
|---|---|
| आफ विटनेस एण्ड प्रोडक्शन आफ डाक्यूमेन्ट्स) एक्ट, 1976 के उपलब्धतानुसार अपने समक्ष किसी गवाह को साक्ष्य देने हेतु बुला सकता है या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है । | आफ विटनेस एण्ड प्रोडक्शन आफ डाक्यूमेन्ट्स) एक्ट, 1976 के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी गवाह को साक्ष्य देने हेतु बुला सकता है या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है । |
| (8) लघु शास्ति आरोपण हेतु प्रक्रिया :-<br>(एक) जहाँ अनुशासन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण विद्यमान है, वहाँ वह उपनियम (दो) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 23 (1) में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियां आरोपित कर सकता है । | (8) लघु शास्ति आरोपण हेतु प्रक्रिया :<br>(एक) जहाँ अनुशासन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण विद्यमान है, वहाँ वह उपनियम (दो) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 23 (1) में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियां आरोपित कर सकता है । |
| (दो) संबंधित कर्मचारी को उस पर लगाये गये अभ्यारोपणों का सारतत्व सूचित किया जाएगा और एक युक्तियुक्त समय के भीतर उससे अपना स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा । अनुशासन प्राधिकारी, उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और जहाँ कोई शास्ति आरोपित की जाती है तो उसके कारण भी दिए जाएगें । आदेश संबंधित कर्मवरी को सूचित किया जाएगा । | (दो) संबंधित कर्मचारी को उस पर लगाये गये अभ्यारोपणों का सारतत्व सूचित किया जाएगा और एक युक्तियुक्त समय के भीतर उससे अपना स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा । अनुशासन प्राधिकारी, उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और जहाँ कोई शास्ति आरोपित की जाती है तो उसके कारण भी दिए जाएगें । आदेश संबंधित कर्मवरी को सूचित किया जाएगा । |
| (9) अपील :-<br>(दो) कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध-<br>(क) नियम 23 के लघु शास्तियों के खण्ड (एक) से (पांच) और वृहद शास्तियों के खंड (एक से चार) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जिला जज द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है; या | (9) अपील:-<br>(दो) कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध-<br>(क) नियम 23 के लघु शास्तियों के खण्ड (एक) से (पांच) और वृहद शास्तियों के खंड (एक से चार) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जिला जज द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है; या |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| (ख्) इस उपनियम के खंड (एक) के अधीन दायर की गयी अपील में नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जिला जज द्वारा दण्ड के विस्तारण का कोई आदेश पारित किया गया है, तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दाखिल कर सकता है । | (ख्) इस उपनियम के खंड (एक) के अधीन दायर की गयी अपील में नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जिला जज द्वारा दण्ड के विस्तारण का कोई आदेश पारित किया गया है, तो वg उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दाखिल कर सकता है । |
| (तीन) इस उपनियम खंड (दो) के अधीन दाखिल कोई अपील की दशा में अपील दाखिल करने की अवधि तीस दिन होगी और इस उपनियम के खंड (दो) के अधीन कोई अपील दाखिल करने की अवधि नब्बे दिनों की होगी । परिसीमन की अवधि की गणना उस दिनांक से की जाएगी जिस दिनांक को अपीलकर्ता को ऐसा आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, सूचित किया गया है । आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को परिसीमन अवधि की गणना में से अपवर्जित कर दिया जाएगा । | (तीन) इस उपनियम खंड (एक) के अधीन दाखिल कोई अपील की दशा में अपील दाखिल करने की अवधि तीस दिन होगी और इस उपनियम के खंड (दो) के अधीन कोई अपील दाखिल करने की अवधि के नब्बे दिनों की होगी । परिसीमन की अवधि की गणना उस दिनांक से की जाएगी जिस दिनांक को अपीलकर्ता को ऐसा आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, सूचित किया गया है । आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को परिसीमन अवधि की गणना में से अपवर्जित कर दिया जाएगा । |
| (पांच) प्रत्येक अपील के ज्ञापन में समस्त सारवान तथ्य, विवरण और तर्क, जिस पर अपीलार्थी निर्भर करता हो, अंतर्विष्ट होंगे और उसमें अपमानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा और वह स्वयं में पूर्ण होगा । | (पांच) प्रत्येक अपील के ज्ञापन में समस्त सारवान तथ्य, विवरण और तर्क जिस पर अपीलार्थी निर्भर करता हो, अंतर्विष्ट होंगे और उसमें अपमानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा और वह स्वयं में पूर्ण होगा । |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची ^ख^ का संशोधन

12. उक्त नियमावली में, अनुसूची ^ख^ में, नीचे स्तम्भ 1 में क्रम क्र0सं0 5 और क्र0सं0-11 पर दी गयी विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

| स्तम्भ 1 विद्यमान प्रविष्टियाँ | | | | स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियाँ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | पदों की श्रेणी | भर्ती की पद्धति | अर्हता आदि | क्र0 सं0 | पदों की श्रेणी | भर्ती की पद्धति | अर्हता आदि |
| 5 | कनिष्ठ सहायक (अमीन ग्रेड-दो) श्रेणी ^^ग^^ नकलनवीस (सिविल) और पुलिस सेवा डायरी/सहायक लेखा लिपिक/ अपर लिपिक/ न्यायालय लिपिक/ प्रशासनिक लिपिक/ राइटर और रनर/ VkbfiLV आदि-- लिपिक सह VkbfiLV श्रेणी ^^ग^^) 5200-20,200 | सीधी भर्ती द्वारा । | डीओइसीसी सोसायटी द्वारा जारी सीसीसी का प्रमाण पत्र के साथ हिन्दी और उर्दू का विशेष ज्ञान के साथ- साथ गणित के साथ इण्टरमीडिएट और कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में 25/30 शब्द प्रति मिनट, (शासनादेश संख्या-1595 /सात-न्याय -2-2011-68जी/2011, दिनांक 17/02/2012 | 5 | कनिष्ठ सहायक (अमीन ग्रेड-दो श्रेणी ^^ग^^/ नकलनवीस सिविल और पुलिस मामला डायरी/ सहायक लेखा लिपिक/ अपर लिपिक/ न्यायालय लिपिक/ प्रशासनिक लिपिक/ राइटर और रनर/ VkbfiLV आदि लिपिक-सह | (क) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा करवा कर, सीधी भर्ती द्वारा । (ख) बीस प्रतिशत हाई स्कूल तक अर्हता रखने वाले न्यूनतम पॉच वर्ष की मौलिक और संतोषजनक सेवा के साथ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के | एन आई ई एल आई टी (पहले डोयेक सोसाइटी) द्वारा जारी सी सी सी के प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी और उर्दू के विशेष ज्ञान के साथ-साथ गणित साहित इण्टरमीडिएट और कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में 25/30 शब्द प्रति मिनट, (शासनादेश संख्या-1595/सात -न्याय-2- 2011-68जी/2011, दिनांक 17/02/2012 के अनुसार) , अंकगणित, क्षेत्रमिति, प्रारम्भिक भूमि |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | के अनुसार), अंकगणित, क्षेत्रमिति, प्रारम्भिक भूमि सर्वेक्षण और नक्शा 1908 के अधिनियम संख्या पांच के आदेश छब्बीस और कनिष्ठ सहायक के कार्य और कर्तव्य से संबंधित नियम (सिविल) | | - VkbfiLV श्रेणी ^^ग^^) 5200- 20,200 ग्रेड वेतन 2000 | आधार पर समूह ^घ^ के कर्मचारियों में से, पदोन्नति द्वारा परन्तु यह कि अमीन ग्रेड-दो का पद केवल सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा । | सर्वेक्षण और नक्शा सन् 1908 के अधिनियम सं0 पॉच के आदेश छब्बीस और कनिष्ठ सहायक के कार्य एवं कर्तव्यों से सम्बन्धित सामान्य नियमाली (सिविल) के नियमों का विशेष ज्ञान । |
| 11 | <u>उप कर्मचारी</u> ट्यूबवेल आपरेटर-सह-इलेक्ट्रीशियन श्रेणी-^^घ^^ 5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 | सीधी भर्ती द्वारा । | ड्राईविंग लाइसेन्स के साथ जूनियर हाई स्कूल | 11 | <u>उप कर्मचारी</u> ट्यूबवेल आपरेटर-सह-इलेक्ट्रीशियन श्रेणी-^^घ^^ 5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 | सीधी भर्ती द्वारा । | (एक) जूनियर हाई स्कूल । (दो) किसी औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान या उसके समकक्ष किसी संस्थान से एक वर्षीय प्रमाण-पत्र 1 |

आज्ञा से
रंगनाथ पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-4/2017/448(1)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।**

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 21 जून,2017 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
रणधीर सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या-4/2017/448(2)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3- समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश ।
4- विधायी अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन ।
5- भाषा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन ।
6- विधि परामर्शी , पुस्तकालय, उ0प्र0 शासन को अधिसूचना की अग्रेंजी प्रति सहित ।
7- गार्ड बुक / कम्प्यूटर सहायक को उक्त अधिसूचना को कम्प्यूटर पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,
रणधीर सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।